अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2024/25 पेमी/लक्ष्मी

तारीख पेशी	2025/294 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री लक्ष्मणसिंह चौहान श्री एन.एस. राजावत-2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
23/6/25	पेमी बनाम लक्ष्मी वगैरह (2025/294) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक श्री एन0एस0 राजावत ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश किया, जो शामिल मिसल हो। तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 07.07.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
7/7/25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 23.06.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में जो देरी के कारण अंकित किये है जो सदभाविक व संतोषजनक है। अतः **प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।** तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र स्थगन, अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये है जिसके विरूद्व उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। विगत लगभग 3 वर्षो से प्रार्थना पत्र में तलवी होना शेष है जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के निस्तारण करने में हुई अनियमितता को दर्शाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन हैं तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को विना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है। अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शेष रेस्पोडेन्ट्स के रजिस्टर्ड एडी नोटिस पेश करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner